

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुमांग-5)

क्र. एफ 4(10)परायि / पीपी / जीकेएन / 2014-15


जयपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

—:: आदेश ::—

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सम्पादित विभिन्न लायौं के किये जा रहे विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण के सरलीकरण के लिए शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है —

1. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, शासन सचिवालय जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग

— सदस्य सचिव




(राजीव सिंह ठाकुर  
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है —

1. पीपी लक्ष्मि, सचिव, भाननीय नुख्यनको महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, ग्रामीण एवं पंचायि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, नाननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, धन कूटी एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग एवं पर्यावरण, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आपुक, इंजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलकटर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य धन संरक्षक, धन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल्दुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परि. निदेशक एवं शासन उप सचिव, वित्तीय सलाहकार, अभियंतामान, ग्रामीण परिवर्तन, इंजीएस जल्दुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यकारी समन्वयक, प्रधान/हितीय जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एव नू.) ग्रामीण विभाग, जयपुर।
12. अधिशासी अभियंता, इंजीएस, जि.प, समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।



अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विभाग, जयपुर